

अत्यन्त आवश्यक आज ही जारी हो

राजस्थान-सरकार

कार्यालय : अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण एवं जिला कलक्टर, उदयपुर राजस्थान

Telephone No. 0294-2413278 e-mail ID : oicreliefudaipur@gmail.com

क्रमांक :- एफ () / जिआप्रप्रा / सहायता / विविध / 2020 दिनांक : 04/05/2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा COVID-19 (कोरोना वायरस) को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा यह आपदा घोषित हो चुकी है। कोरोना वायरस का फैलाव श्रृंखलाबद्ध रूप से त्वरित होता है। इसलिये भारत सरकार द्वारा दिनांक 17-05-2020 तक लॉक डाउन घोषित किया गया है। महामारी रोग अधिनियम, 1867, राजस्थान महामारी अधिनियम, 1957 के तहत राज्य सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 12-3-2020, आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 24,30(xxiv),31,33,34,51 व 65 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये AMERICAN INTERNATIONAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIIMS) BEDWAS, UDAIPUR RAJASTHAN को मय समस्त संसाधनों सहित एतद्द्वारा अधिगृहित किया जाकर आदेश दिये जाते हैं उक्त संस्थान का कब्जा मय समस्त संसाधन (चिकित्साकर्मी एवं उपकरणों सहित) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर (डॉ दिनेश खराड़ी मो.नं. 9116003775) को तत्काल सम्मलाकर समन्वय स्थापित कर समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य सम्पादित करेंगे।


(आनन्दी)

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
उदयपुर

प्रतिलिपि पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
2. आयुक्त नगर निगम, उदयपुर
3. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर
4. प्राचार्य एवं नियन्त्रक, आर.एन.टी.मेडिकल महाविद्यालय, उदयपुर।
5. आते. जिला कलक्टर, प्रशासन/नगर उदयपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
8. डॉ. राकेश अरोड़ा, नोडल ऑफिसर, मो. नं. 9314595200 अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, बेडवारा, उदयपुर।
9. जिला आयुर्वेद अधिकारी, उदयपुर
10. उपनिदेशक, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, उदयपुर
11. आते0 विजी सचिव, जिला कलेक्टर महोदया, उदयपुर।
12. -----


(ओ.पी. बुनकर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
सदस्य सचिव, जिला आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण, उदयपुर